न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
117/अपील/2017	14.03.2017	26.07.2018

शंकर आ0 रामनिवास जाति महाजन निवासी ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

– अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.12.2016
नायब तहसीलदार, हिण्डोली
अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम।
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से – श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1249 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, पैनाल्टी 250/– रूपये एवं 30 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई है एवं विधिक रूप से अपीलान्ट की तामील भी नहीं हुई है एवं बिना तामील

कराये ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है एवं ना ही उसका कब्जा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने पैनाल्टी जमा करा दी है तथा कोई राजस्व बकाया नहीं है। अपीलान्ट कोई पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अतिक्रमण मानते हुये सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अतिक्रमण बाबत् कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये गये है। अतिक्रमी को द्वितीय अतिचार साबित किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.12.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल

कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/18

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)